न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

(कैम्प कोर्ट पूनरासर)

मुकदमा नम्बर 59/2021

निर्णय दिनांक 02.10.2021

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पूनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़

—प्रार्थी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़
2. शाखा प्रबन्धक, एचडीएफसी, बैंक शाखा बीकानेर
3. रामेश्वरनाथ पुत्र पूर्णनाथ जाति सिद्ध निवासी पूनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़

— अप्रार्थीगण—

उपस्थिति::—

1. श्री राजूराम जाखड अभिभाषक अप्रार्थी
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से
3. अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

यह प्रार्थना पत्र स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पूनरासर ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 408 मीन तादादी 22 बीघा व खसरा नम्बर 834/627 तादादी 14 बीघा 05 बिस्वा वाकेरोही पूनरासर पटवार हल्का पूनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित रहे है। खसरा नम्बर 408 मीन के वर्तमान खसरा नम्बर 1196/471 तादादी 5.56 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 834/627 के वर्तमान खसरा नम्बर 1197/730 तादादी 3.55 हैक्टेयर कायम हुए है। यह है कि अप्रार्थी सं. 3 ने अपनी उपरोक्त खातेदारी की कृषि भूमि पर के.सी.सी. ऋण उद्देश्य हेतु प्रार्थी बैंक के यहां सन् 2015 में आवेदन किया जिस पर प्रार्थी बैंक शाखा द्वारा 19 अगस्त 2015 को उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में अप्रार्थी सं. 3 को ऋण स्वीकृत किया गया व (प्रार्थी बैंक के नाम) रहननामा दर्ज करने हेतु 6 (1) जारी किया। अप्रार्थी संख्या 3 ने उक्त 6(1) अप्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय में प्रस्तुत कर किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय से उक्त 6(1) को हल्का पटवारी को भेजा गया व हल्का पटवारी ने सही रूप से नामान्तरण संख्या 2850 दिनांक 12.08.2015 को दर्ज रजिस्टर कर तहसील कार्यालय में पेश किया जो बाद पंजीबद्ध एक प्रति प्रार्थी बैंक के कार्यालय को [illegible] गई। यह है कि उक्त 6(1) के आधार पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी सं. 3 को [illegible] ऋण प्रदान कर दिया गया। अभी कुछ समय पहले प्रार्थी बैंक द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से अप्रार्थी सं. 3 के खसरे की सर्च की गई तो पता चला कि उक्त खसरा भूमि के राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 2 (एचडीएफसी बैंक शाखा बीकानेर) के नाम रहन का अंकन चला आ

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:13:57 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

रहा है जबकि एचडीएफसी बैंक शाखा बीकानेर द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के कार्यालय में दिनांक 18.05.2015 को ही नॉ'ड्यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया था। यह है कि नामान्तरण सं. 2850 के द्वारा राजस्व अमला द्वारा अभी तक खसरा नम्बर 408 मीन के नये बने खसरा नम्बर 1196/471 व खसरा नम्बर 834/627 से नये बने खसरा नम्बर 1197/730 रोही पूनरासर मे प्रार्थी बैंक के नाम कोई रहन का इन्तकाल दर्ज नहीं किया है। जबकि उक्त खसरान भूमि का नामान्तरण सही रूप से प्रार्थी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पूनरासर के नाम दर्ज होना चाहिए था। यह है कि प्रार्थी बैंक ने अप्राथी संख्या 3 को भी कहा कि आपने मेरी बैंक संस्था में ऋण का आवेदन किया था व आपको ऋण प्रदान किया गया है परन्तु आपके खेत का रहन का इन्तकाल हमारी बैंक शाखा के नाम अभी तक दर्ज नहीं हो पाया है व उक्त रहन का इन्तकाल अभी तक एचडीएफसी बैंक शाखा बीकानेर के नाम दर्ज चला आ रहा है, आप इसे दुरूस्त करवाओं तो अप्रार्थी संख्या 3 ने कहा कि 6(1) आपने भरकर दिया था मैने तहसील कार्यालय में पेश कर दिया अब रहन का इन्तकाल किस बैंक के नाम दर्ज चला आ रहा है यह मुझे पता नही है व नहीं है व ना ही मेरी कोई गलती है, आप जानो व आपका काम जानें।यह है कि प्रार्थी बैंक को उक्त रहन के बारे में पता चलने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय में लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 21.07.2020 को प्रस्तुत कर एचडीएफसी बैंक शाखा बीकानेर के स्थान पर प्रार्थी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शााखा पुनरासर दर्ज कर राजस्व रिकार्ड व ऑन लाईन रिकार्ड शुद्धिकरण करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी 1 ने प्रार्थी बैंक को कहा कि जिस प्रकार से यह गलती हुई है उसके लिए आपको सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आना होगा, बिना न्यायालय के आदेश के राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करना संभव नही है, इस प्रकार अप्रार्थी 1 ने शुद्धिकरण करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। राजस्व रिकार्ड व ऑनलाईन रिकार्ड में उक्त संशोधन होने से अप्रार्थी संख्या 1 के हितो पर कोई विपरीत असर नही पडेगा। जबकि इसके विपरीत सही रूप से इन्तकाल दर्ज नही होने से प्रार्थी बैंक को भारी अपूरणीय क्षति हो रही है व प्रार्थी बैंक अप्रार्थी संख्या 3 से ऋण की वसूली करने में भी असमर्थ हो गया है। यह कि अप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी के खेतो का रहन का इन्तकाल अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज चला आ रहा है जबकि अप्रार्थी संख्या 3 ने प्रार्थी बैंक शाखा के यहा ऋण आवेदन किया तथा ऋण प्राप्त किया है जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल, नॉ–डयूज प्रमाण पत्र व धारा 6(1) के अधीन की घोषणा एवं प्रार्थी बैंक द्वारा शुद्धिकरण करने के निवेदन का प्रार्थना पत्र दिनांक 21.07.2020 आदि दस्तावेजात प्रस्तुत है। यह कि वर्णित खसरान भूमि ग्राम पूनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में है इसलिए न्यायालय श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का पूर्ण क्षेत्राधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:13:57 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खेत खसरा नम्बर 1196/471 तादादी 5.56 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1197/730 तादादी 3.55 हैक्टेयर वाकेरोही पूनरासर के राजस्व रिकार्ड व आनॅलाईन रिकॉर्ड में अप्रार्थी सं. 3 की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 (एचडीएफसी बैंक शाखा बीकानेर) के नाम दर्ज रहन के अंकन

Divya

को हटाया जाकर उसकी जगह प्रार्थी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पूनरासर के नाम रहन का इन्तकाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड व ऑनलाईन रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 1 को दिया जावे और उसकी पालना अप्रार्थी संख्या 1 से करवाई जावे। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तबल किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पैरोकाराज द्वारा जवाब पेश किया गया जा चुका है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। बहस एकतरफा सुनी गई। संक्षेप में प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 1196/471 तादादी 5.56 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1197/730 तादादी 3.55 हैक्टेयर वाकेरोही पूनरासर के राजस्व रिकार्ड व आनॅलाईन रिकॉर्ड में अप्रार्थी सं. 3 की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 (एचडीएफसी बैंक शाखा बीकानेर) के नाम दर्ज रहन के अंकन को हटाया जाकर उसकी जगह प्रार्थी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पूनरासर के नाम रहन का इन्तकाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड व ऑनलाईन रिकार्ड में शुद्धि करने का आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुशिचित करें।

यह निर्णय आज दिनांक 02.10.2021 कैम्प कोर्ट पूनरासर में सरे इजलास सुनाया जाकर शमिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बरी मुकदमा कम हो।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:13:57 IST
Reason: SelfAttested